

प्रेषक,

लीना जौहरी,

सचिव एवं राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 2015

विषय: वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत के लिए शासनादेश संख्या-177/1-10-2014-12(36)/13, दिनांक 04.03.2014 द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि रु0 226.1125 लाख स्वीकृत की गयी थी। अग्रेत्तर शासनादेश संख्या-628/1-10-2014-12(36)/13, दिनांक 15.07.2014 द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि रु0 452.225 लाख स्वीकृत किया गया था। कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

| क्र० सं० | अधि०अभि० अपर खण्ड, पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर के कार्य                                                                | आगणन (लाख रु० में) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | मुख्य नहर के किमी० 32.500 से 32.560 तक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई बायीं पटरी की मरम्मत का कार्य                    | 13.99              |
| 2        | मुख्य नहर के किमी० 43.800 से 43.900 तक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई बायीं पटरी की मरम्मत का कार्य                    | 12.99              |
| 3        | मुख्य नहर के किमी० 27.600 से 27.650 तक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई बायीं पटरी की मरम्मत का कार्य                    | 13.99              |
| 4        | मुख्य नहर के किमी० 22.900 से 23.050 तक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई बायीं पटरी की मरम्मत का कार्य                    | 11.99              |
| 5        | मुख्य नहर के किमी० 38.500 से 38.600 तक दायाँ बैंक पर वर्षा से हुए क्षतिग्रस्त पक्के कार्य एवं बैंक की मरम्मत का कार्य | 14.97              |
| 6        | कालूवाला दाँया बंध अपरस्ट्रीम पर बाढ़ के कारण हुए कटाव का मरम्मत का कार्य                                             | 34.85              |
| 7        | जहानपुर बंध पर बाढ़ के कारण हुए कटाव का मरम्मत का कार्य                                                               | 33.95              |
| 8        | एल०पी० बंध पर बाढ़ के कारण हुए कटाव का मरम्मत का कार्य                                                                | 35.56              |
| 9        | कालूवाला दाँया बंध डाउनस्ट्रीम पर बाढ़ के कारण हुए कटाव का मरम्मत का कार्य                                            | 35.33              |
| 10       | मुख्य नहर के किमी० 68.300 से 68.500 तक दायाँ बैंक पर वर्षा से हुए क्षतिग्रस्त पक्के कार्य एवं बैंक की मरम्मत का कार्य | 24.98              |
| 11       | जाटोवाला दाँयी पटरी के अपरस्ट्रीम में बाढ़ से हुए कटाव की मरम्मत का कार्य                                             | 40.91              |
| 12       | जाटोवाला दाँयी पटरी के ग्राम अम्बहटा इस्माइलपुर व पठानपुरा में बाढ़ से हुए कटाव की मरम्मत का कार्य                    | 40.27              |



|     |                                                                                                                                   |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 13  | मुख्य के किमी0 12.600 से 12.700 तक बायें बैंक पर वर्ष से हुए क्षतिग्रस्त पक्के कार्य एवं बैंक की मरम्मत का कार्य                  | 15.34  |
| 14  | रा0 कासिमपुर के किमी0 0.550 पर जलसेतु एवं गाइड बन्धों की मरम्मत का कार्य                                                          | 25.00  |
| 15  | रा0 कासिमपुर के किमी0 3.200 पर क्षतिग्रस्त बन्धों की मरम्मत का कार्य                                                              | 13.00  |
| 16  | रा0 कासिमपुर के किमी0 16.650 पर जलसेतु एवं राजबाहें के के सेक्शन की पुनर्स्थापना का कार्य                                         | 26.00  |
| 17  | रा0 कासिमपुर के किमी0 1.425 पर क्षतिग्रस्त ड्रेनेज कासिंग की मरम्मत एवं राजबाहें की सुरक्षा का कार्य                              | 24.60  |
| 18  | एल0पी0 बन्ध के स्पर नं0-2 के अपस्ट्रीम पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य                                                                  | 37.62  |
| 19  | एल0पी0 बन्ध के स्पर नं0-1 के अपस्ट्रीम पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य                                                                  | 31.59  |
| 20  | एल0पी0 बन्ध के स्पर नं0-2ए एवं 3 के मध्य पूर्व निर्मित दीवार के ऊपर से पानी बहने से हुए कटाव की मरम्मत एवं बोल्टर पिचिंग का कार्य | 36.19  |
| 21  | एल0पी0 बन्ध के स्पर नं0-2ए एवं 2 के मध्य क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत एवं उच्चीकरण का कार्य                                        | 27.19  |
| 22  | शाकुम्बरी बन्ध पर भूरादेव मन्दिर के पास क्षतिग्रस्त कार्यो की मरम्मत का कार्य                                                     | 27.60  |
| 23  | मोहनन्द खोल नदी पर ग्राम मोहनन्द की सुरक्षार्थ बाढ़ सुरक्षा का कार्य                                                              | 20.41  |
| 24  | सोलानी नदी पर ग्राम बदशाहपुर, सतपुरा, फतेहपुर विलियो, अब्दुल्लापुर, खुजनावर, जिवाला आदि अन्य की बाढ़ सुरक्षा का कार्य             | 29.60  |
| 25  | पूर्वी यमुना नहर के किमी0 10.900 पर नौशेरा राव कासिंग रेगुलेटर पर क्षतिग्रस्त गाइड बन्ध व फ्लोर मरम्मत का कार्य                   | 20.44  |
| 26  | पूर्वी यमुना नहर के किमी0 13.400 पर रायपुर राव कासिंग रेगुलेटर पर क्षतिग्रस्त गाइड बन्ध व फ्लोर मरम्मत का कार्य                   | 25.94  |
| 27  | जाटोवाला बाँया बध के किमी0 0.500 से 1.00 तक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य                                                                | 28.04  |
| 28  | मुख्य नहर के किमी0 14.100 से 16.00 तक बायें बैंक की क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत का कार्य                                           | 15.15  |
| 29  | मुख्य नहर के किमी0 17.00 से 19.200 तक बायें बैंक की क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत का कार्य                                           | 16.79  |
| 30  | रा0 गन्देवड़ के किमी0 2.500 से 3.800 तक की क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य                                                    | 13.58  |
| 31  | रा0 आलमपुर के किमी0 4.250 से 7.500 तक की क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य                                                      | 12.41  |
| 32  | रा0 रेड़ी के किमी0 0.200 से 0.320 तक दायें बैंक पर क्षतिग्रस्त पक्के कार्य एवं मरम्मत का कार्य                                    | 19.99  |
| 33  | मुख्य नहर के किमी0 50.300 पर क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य                                                                  | 14.91  |
| 34  | मुख्य नहर के किमी0 51.600 पर क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य                                                                  | 19.73  |
| 35  | मुख्य नहर के किमी0 57.955 पर स्थित रेड़ी कास रेगुलेटर के डाउन स्ट्रीम में क्षतिग्रस्त पक्के कार्य की मरम्मत का कार्य              | 29.99  |
| 36  | मुख्य नहर के किमी0 46.250 पर छाये बैंक की क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य                                                     | 19.79  |
| 37  | मुख्य नहर के किमी0 54.900 पर क्षतिग्रस्त बैंक की मरम्मत का कार्य                                                                  | 19.79  |
| 38  | मुख्य नहर के किमी0 61.350 पर स्थित इनलेट पर क्षतिग्रस्त बैंकों की मरम्मत का कार्य                                                 | 19.98  |
| योग |                                                                                                                                   | 904.45 |



2- शासनादेश संख्या-147, 1-10-2014-12(36)/2013, दिनांक 25.02.2014 द्वारा जनपद सहारनपुर को वर्ष 2013 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग के अन्य सड़कों के अलावा निम्नलिखित कार्यों हेतु, रू0 32.52 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी थी:-

| क्र० सं० | लोक निर्माण विभाग, (प्र०प०) सहारनपुर के कार्य                                                                                                                                                                                      | आगणन की धनराशि (लाख रू० में) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के अन्तर्गत नकुड नसरुल्लागढ़ मार्ग के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए तटबन्ध पर यातायात चालू करने एवं मार्ग कम्पे पूर्व दशा में लाने हेतु मरम्मत कार्य।                                  | 31.56                        |
| 2        | वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के अन्तर्गत नकुड शेरमऊ गंगोह मार्ग से धुन्धा माजरा वाया सनौली मार्ग पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए तटबन्ध पर यातायात चालू करने एवं मार्ग कम्पे पूर्व दशा में लाने हेतु मरम्मत कार्य। | 11.22                        |
| 3        | वर्ष 2013-14 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के अन्तर्गत रोशनपुर धुन्धा माजरा मार्ग से बाऊ सहसपुर मार्ग पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए तटबन्ध पर यातायात चालू करने एवं मार्ग कम्पे पूर्व दशा में लाने हेतु मरम्मत कार्य।          | 22.26                        |
|          | योग                                                                                                                                                                                                                                | 65.04                        |

3- इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी के पत्र संख्या-781सी०आर०एफ०/द०आ०लि०/2014-15, दिनांक 15.01.2015 तथा पत्र संख्या-715सी०आर०एफ०/द०आ०लि०/2014-15, दिनांक 18.12.2014 द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तर-1 में उल्लिखित 38 कार्यों हेतु 25 प्रतिशत अवशेष धनराशि रू0 226.1125 लाख एवं प्रस्तर-2 में उल्लिखित 03 सड़कों की मरम्मत हेतु द्वितीय किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 32.52 लाख अर्थात् कुल रू0 2,61,63,250/- (रूपये दो करोड़ इकसठ लाख तिरसठ हजार दो सौ पचास मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा ।

2- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा०-10-33(171)/12, दिनांक 25.10.2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से



धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय शाओपओसओ-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या-2785/1-10-2011/12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21.06.2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01.03.2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

4- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

5- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

6- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

7- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-राओ-11, दिनांक 20.06.2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी/राहत.यूओपीओ.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यूओओ-2/1-11-2013-राओ-11, दिनांक 04.03.2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत



धनराशि में से यदि कोई वचन/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

8- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

9- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भारतीया,  
24/2/15

( लीना जौहरी )

सचिव एवं राहत आयुक्त।

75

संख्या: (1)/1-10-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
- 5- प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 7- उप निदेशक सामान्य एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सहारनपुर।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 12- गार्ड फाइल।

आजा सो,  
24/2/15

( मदन मोहन )

अनु सचिव।